FORM No. III

APP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2022/106

नाम अदालत - राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम - सवाई माधोपुर

रामस्वरूप वगैरा बनाम देवीसिंह वगै.

किस्म मुकदमा 223 RTA मुकदमा नं. 63/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/09/22	अपीलांट अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांट अधिवक्ता को अपील के एडमिशन पर एक पक्षीय सुना गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 114/15 निर्णय व डिक्री दिनांक 4.03.2020 के विरूद्व पेश की गई है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार को मौके पर जाकर कब्जे व रिकार्ड के आधार पर मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर नही जाकर नायब तहसीलदार को मौके पर भिजवाया गया है। नायब तहसीलदार द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट पर अपीलांटान के हस्ताक्षर नही है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद मे लक्ष्मीकांत पुत्र बृजमोहन शर्मा को पक्षकार नही बनाने पर भी नायब तहसीलदार द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट मे उसे हिस्सा प्रदान किया गया है जबकि वह अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकार ही नही था। इसी प्रकार अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट द्वारा विभाजन स्कीम पर आपत्ति प्रस्तुत करने पर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्ति का निस्तारण यह कहकर किया गया है कि अपीलांट बाबजूद सूचना के मौके पर उपस्थित नही हुए। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध मे कोई विधि सम्मत तर्क नही दिया गया है। इस प्रकार उक्त विवेचन से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विरोधाभासी निर्णय की श्रेणी मे आता है। अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर रिमाण्ड किया जाना विधि सम्मत है। अतःअपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 114/15 निर्णय व डिक्री दिनांक 4.3.20 को अपास्त कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे विवादित आराजीयात के सह खातेदारान को विधिवत सुनकर , साक्ष्य सबूत प्राप्त कर तहसीलदार को स्वयं मौके पर भिजवाकर सहखातेदारान की मौजूदगी मे मौका रिपोर्ट तैयार कर उनसे सहमति प्राप्त कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अपीलांटान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के यहॉ दिनांक 17.10.2022 को उपस्थित होवे। निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।	

Scanned with CamScanner